न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
30/2023

दायर दिनांक
01.02.2023

निर्णय दिनांक
27.07.2023

अनवान

1. कजोड़ सिंह पुत्र श्री मदन सिंह राजपूत,
2. नाथू सिंह पुत्र श्री मदन सिंह राजपूत,
निवासी ब्रह्मपुरी, तहसील व जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवसिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह राजपूत निवासी जित्याखेड़ी, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. भैरू पुत्र श्री काशी रेगर निवासी ब्रह्मपुरी, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. नानू पुत्र श्री काशी रेगर निवासी ब्रह्मपुरी, तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. लादू पुत्र श्री तोला रेगर निवासी ब्रह्मपुरी, तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. मगना पुत्र श्री उदा नायक निवासी ब्रह्मपुरी, तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. ऊंकार सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह राजपूत निवासी ब्रह्मपुरी, तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. छीतर सिंह पुत्र श्री कानसिंह राजपूत निवासी जित्याखेड़ी, तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. बनवारी पुत्र श्री बरदा नायक निवासी जित्याखेड़ी, तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. उदय सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राजपूत निवासी जित्याखेड़ी, तहसील व जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री बालकृष्ण पुरोहित – प्रार्थीगण
एक तरफा अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम ब्रह्मपुरी, पटवार हल्का दांथल, भू.अ.नि. क्षेत्र दांथल, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2071 2074 के नये खाता संख्या 52 की अभिलिखित आराजी संख्या 183/1 रकबा 0.1138 है0, आराजी सं. 183/3 रकबा 0.2276 है0, आराजी सं. 184/1 रकबा 0.4552 है0, आराजी सं. 184/3 रकबा 0.2782 है0 कुल किता 04 रकबा 1.0748 है0 भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है, जिसमें अप्रार्थीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात का पूर्व में सीमांकन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.07.2023 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैर बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने की अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम ब्रह्मपुरी, पटवार हल्का दांथल, भू.अ.नि. क्षेत्र दांथल, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2071–2074 के नये खाता संख्या 52 की अभिलिखित आराजी संख्या 183/1 रकबा 0.1138 है0, आराजी सं. 183/3 रकबा 0.2276 है0, आराजी सं. 184/1 रकबा 0.4552 है0, आराजी सं. 184/3 रकबा 0.2782 है0 कुल किता 04 रकबा 1.0748 है0 भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जो में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा